अनुदान संख्या 51 – गृह मंत्रालय
GRANT No. 51–MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*			*6,00*	*13*	*–5,87*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*5,40*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	697,30,00		729,94,00	680,89,51	–49,04,49
पूरक	Supplementary	32,64,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					32,31,44
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	20,50,00		23,55,00	16,77,27	–6,77,73
पूरक	Supplementary	3,05,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *5.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (4904.49 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 3264.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.5.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2070" - "Other Administrative Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4904.49 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.3264.00 lakhs obtained in February, 2004 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	7302.00			
पू.	S.	187.00	7154.94	6934.84	–220.10
पु.	R.	–334.06			
मुख्य शीर्ष "2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	40827.00			
पू.	S.	856.00	41086.81	40355.24	–731.57
पु.	R.	–596.19			
मुख्य शीर्ष "3454'' जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	11814.00			
पू.	S.	973.00	12403.81	12126.54	–277.27
पु.	R.	–383.19			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	9742.00			
पू.	S.	1158.00	8985.00	8543.31	–441.69
पु.	R.	–1915.00			

(I) 150.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052'' - "सचिवालय''-

(क) "गृह मंत्रालय''- 6161.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 150.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके

(I) Provision of Rs.150.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Supplementary grant remained wholly unutilised under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat"-

(a) "Ministry of Home Affairs" - the original provision of Rs.6161.50 lakhs was

बढ़ाकर 6311.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 435.41 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रक्षा मंत्रालय से पुलिस कार्मिकों के लिए वीरता/सेवा पदकों आदि के बिलों की प्राप्ति न होने, एसएसएफ का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ विलय होने, एसएसएफ द्वारा नई मशीनरी की खरीद न किए जाने, राजभाषा समिति के अधिकारियों द्वारा भारतीय दूतावासों/मिशनों का विदेश दौरा न किए जाने, 31.03.2004 के लिए निर्धारित पद्म पुरस्कार समारोह स्थगित कर दिए जाने, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, समयोपरि भत्ते, कार्यालय व्यय, लघु निर्माण कार्य और सहायता अनुदान पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(ख) ''स्वापक नियंत्रण ब्यूरो''- 1140.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 37.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1177.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 118.75 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अधिवक्ताओं से बिलों के प्राप्त न होने, रिक्त पदों के न भरे जाने, विदेशी दौरे कम संख्या में किए जाने, मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति न किए जाने और प्रशिक्षण एवं यात्रा भत्ता बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''नागरिक सुरक्षा - राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज''- 128.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 135.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 7.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिकारियों के विदेशी दौरों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा महानिदेशक''- 266.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 167.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 433.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, चुनाव घोषित किए जाने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से विज्ञापन एवं प्रचार के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग न

augmented to Rs.6311.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.150.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.435.41 lakhs (including supplementary grant) due to non-receipt of bills for gallantry/service medals etc. for police personnel from the Ministry of Defence, Merger of SSF with CISF, non-purchase of new machinery by SSF, non-undertaking of foreign tours by officials of Committee on Official Languages to Indian Embassies/ Missions, postponement of Padma Awards ceremony scheduled for 31-03-2004 and less expenditure on leave encashment, LTC, Overtime Allowance, Office Expenses, Minor Works and Grants-in-aid.

(b) "Narcotics Control Bureau" - the original provision of 1140.50 lakhs was augmented to Rs.1177.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.37.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.118.75 lakhs (including supplementary grant) due to non-receipt of bills from advocates, non-filling up of vacant posts, less number of foreign tours undertaken, non-procurement of machinery and equipment and less expenditure on training and travelling allowance bills.

(B) Major Head "2070" -"Civil Defence - National Civil Defence College" - the original provision of Rs.128.00 lakhs was augmented to Rs.135.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.7.33 lakhs (including supplementary grant) due to non-filling up of vacant posts and non-materialisation of foreign tours of officials.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2070" - remained unutilised under the following heads to the extent shown against each:-

(A) "Civil Defence - Director General of Civil Defence" - the original provision of Rs.266.00 lakhs was augmented to Rs.433.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.167.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.83.89 lakhs - due to non-utilisation of funds meant for advertisement and publicity owing to

किए जाने के कारण 83.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - आईसीपीओ - इंटरपोल''- 130.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 170.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, इंटरपोल द्वारा सदस्य देशों से मांगे गए सांविधिक अंशदान में अपेक्षा से कम वृद्धि किए जाने और साथ ही रुपए की तुलना में यूरो की विनिमय दर में घट-बढ़ होने के कारण 10.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) "अन्य व्यय - आसूचना ब्यूरो''- 34731.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 642.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 35373.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, भवनों की मरम्मत का कार्य कम होने, अधिकारियों द्वारा कम दौरे किए जाने, एएससी मदों (सेना द्वारा आसूचना ब्यरो की जांच चौकियों को राशन की मदों) की आपूर्ति न किए जाने, सशस्त्र गार्डों के वेतन की अदायगी के लिए राज्य/केन्द्रीय पुलिस अभिकरणों से दावे प्राप्त न होने और कोडीय औपचारिकताओं के पूरा न होने की वजह से वीएचएफ सेटों/कम्प्यूटरों और उससे संबंधित उपस्करों (पेरिफेरलों) आदि जैसे उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण 527.20 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "2070'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) "अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज''- 316.29 लाख रु. की बचत (435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, नागपुर से बाहर आयोजित किए गए वरिष्ठ अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए अतिथि प्राध्यापकों द्वारा कम दौरे किए जाने, अधिकारियों की विदेश यात्राओं के कम मूर्तरूप लेने और विशेषीकृत मोटर उपकरणों/अग्निशमन उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "राजभाषा - केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का अध्यापन''- 265.65 लाख रु. की बचत (878.83 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रबोध पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप न दिए जाने, जांच समिति की बैठक आयोजित न किए जाने की वजह से विभिन्न श्रेणियों के कुछ पदों के न भरे जाने और वर्ष के दौरान नए आवास किराए पर न लिए जाने के कारण हुई।

restrictions imposed by Election Commission after announcement of Election.

(B) "International Cooperation - ICPO - Interpole" - the original provision of Rs.130.00 lakhs was augmented to Rs.170.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.10.00 lakhs - due to less increase in statutory contribution from member countries sought by Interpol than expected and also variation in exchange rate of Euro-vis-a-vis Rupee.

(C) "Other Expenditure - Intelligence Bureau"- the original provision of Rs.34731.00 lakhs was augmented to Rs.35373.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.642.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.527.20 lakhs - due to less repair works of buildings, less tours undertaken by the officials, non-supply of ASC items (Ration items by Army to checkposts of IB), non-receipt of claims from State/Central Police Agencies for payment of salary of Armed Guards and non-procurement of equipments like VHF sets/Computers and peripherals etc. owing to non-completion of codal formalities.

(IV) Under Major Head "2070" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Fire Protection and Control - National Fire Service College" - saving of Rs.316.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.435.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less frequency of visits by guest faculty for senior officer course conducted outside Nagpur, non-materialisation of foreign tours of officials and non-procurement of Specialised Motor Appliances/Fire Fighting Equipments.

(B) "Official Language - Teaching Hindi to Central Government Employees"-saving of Rs.265.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.878.83 lakhs) was due to non-finalisation of Prabodh Text books, non-filling up of certain posts of different categories owing to non-holding of meeting of Screening Committee and non-hiring of new accommodation during the year.

(V) मुख्य शीर्ष "3454" - "जनगणना - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पृथक्करण और संकलन"- 291.75 लाख रु. की बचत (3480.62 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "पंजीकरण, संवर्धन पद्धति, अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन"- 174.59 लाख रु. की बचत (1305.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बिंब आधारित प्रौद्योगिकी संबंधी आंकड़ा संसाधन परियोजना पर कार्य के लिए सीएमसी को तत्काल अदायगी करने के लिए निधियों का अपवर्तन किए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(गा) "जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण"- 204.87 लाख रु. की बचत (270.82 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, मशीनरी और उपस्करों की खरीद संबंधी प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निर्वाचन - अन्य अनुदान - संसद और राज्य विधान सभा निर्वाचनों के दौरान होम गार्डों की तैनाती"- 258.56 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रवधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव जिसके समर्थन में लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र नहीं थे, प्राप्त होने के कारण हुई। दावे 31 मार्च, 2004 से पूर्व स्वीकृत नहीं जा सके क्योंकि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे।

(खा) "अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगियां - विदेशियों का पंजीकरण और निगरानी"- 4625.94 लाख रु. की बचत (5040.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 317.83 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00

(V) Under Major Head "3454"- "Census - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Abstraction and Compilation" - saving of Rs.291.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3480.62 lakhs); and

(B) "Registration, Promotion Method, Research and Population Studies" - saving of Rs.174.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1305.35 lakhs).

Savings under the above two heads were due to diversion of funds for urgent payment to CMC for work on data processing project on image based technology and non-filling up of vacant posts.

(C) "GIS based Town Mapping" - saving of Rs.204.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.82 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of proposals for purchase of machinery and equipments.

(VI) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Elections - Other Grants - Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections" - saving of Rs.258.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to receipt of proposal for reimbursement of expenditure incurred by State Governments which were not supported by Audit Certificate. The claims could not be cleared before 31st March, 2004 since clarifications were not received.

(B) "Other Administrative Services - Payments to States/UTs for Administration of Central Acts and Regulations - Registration and Surveillance of Foreigners" - saving of Rs.4625.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5040.00 lakhs) was due to less receipt of claims for reimbursement from State Governments.

(VII) Under four heads savings of Rs.317.83 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs

लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थी।

but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 36 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना - जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ा संसाधन के लिए कम्प्यूटर प्रणाली''- 251.51 लाख रु. का अधिक व्यय (973.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3950.50 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिंब आधारित प्रौद्योगिकी संबंधी आंकड़ा संसाधन परियोजना के लिए सीएमसी के साथ करार किए जाने, स्कैनरों की आपूर्ति किए जाने और भारत की जनगणना, 2001 के दौरान तैयार की गई अनुसूचियों की स्कैनिंग किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "3454" - "Census - Computerisation of Census Data - Computer System for Processing Census Data" - excess of Rs.251.51 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3950.50 lakhs including supplementary grant of Rs.973.00 lakhs) was due to agreement with CMC for data processing project on image based technology, supply of scanners and scanning of schedules prepared during the Census of India, 2001.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) ''अन्य प्रशानिक सेवाएं - होम गार्ड - होम गार्डों के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति''- 2642.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1158.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4358.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति''- 105.30 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय संसद और विधानसभा चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती किए जाने और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए उपयोग किए गए होम गार्डों के संबंध में राज्यों को प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण हुआ।

(B) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Other Administrative Services - Home Guards - Reimbursement to States for Home Guards" - excess of Rs.2642.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4358.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1158.00 lakhs); and

(b) "Other Administrative Services - Civil Defence - Reimbursement to States for Civil Defence" - excess of Rs.105.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to deployment of Home Guards during Parliament and Assembly elections and reimbursement to States for Home Guards utilised for other administrative services.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.05 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.65.05 lakhs occurred constituting 50 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (677.73 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 305.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.677.73 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.305.00 lakhs obtained in February, 2004 and constituted 29 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1800.00			
पू.	S.	240.00	1790.00	1631.45	–158.55
पु.	R.	–250.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	250.00	315.00	45.82	–269.18
पू.	S.	65.00			

(I) 250.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059''- "सामान्य - भूमि का अधिग्रहण - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' के अंतर्गत एक मामले में भूमि की खरीद के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.250.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" - "General - Acquisition of Land - Narcotics Control Bureau" - due to non-finalisation of proposals for purchase of land.

(II) मुख्य शीर्ष "4216'' - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के निवासों पर सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्य'' के अंतर्गत 250.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 65.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 315.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 269.18 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) संरक्षितों के आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Security related works at the residences of protectees" - the original provision of Rs.250.00 lakhs was augmented to Rs.315.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.65.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.269.18 lakhs (including supplementary grant) due to less expenditure incurred by Central Public Works Department for repairs of residential buildings of protectees.

(III) मुख्य शीर्ष "4059'' - "सामान्य - निर्माण - आसूचना ब्यूरो'' के अंतर्गत 1500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 190.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके

(III) Under Major Head "4059" - "General - Construction - Intelligence Bureau" - the original provision of Rs.1500.00 lakhs was augmented to Rs.1690.00 lakhs by obtaining supplementary grant

बढ़ाकर 1690.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की वजह से निविदाओं को देर से अंतिम रूप दिए जाने के कारण 158.55 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

of Rs.190.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.158.55 lakhs - due to non-utilisation of funds by Central Public Works Department for executing projects and late finalisation of tenders owing to other procedural formalities.